तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज अपील संख्या 266/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/488) बअनवान इकबाल बनाम अखी मोहम्मद इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

इकबाल

बनाम

अखी मोहम्मद इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 से 07
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 09

आदेश

दिनांक 25 मई 2026

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (उत्तर) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 77/2024 बअनवान इकबाल बनाम अखी मोहम्मद व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.10.2024 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 13 नवंबर 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी विवादित भूमि खसरा नंबर 261, 261/2, 261/4, का दर्ज काबिज सहखातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। रेस्पोडेंट्स जबरदस्ती अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि कब्जा कर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। इसलिए अपीलांट को अपूरणीय क्षति होना संभावित है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने केस को बखूबी साबित किया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की गई। यदि रेस्पो. अपने उद्देश्य में सफल हो गये तो अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति होगी। विचारण न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते अपीलांट्स के हितों को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म/या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज अपील संख्या 266/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/488) बअनवान इकबाल बनाम अखी मोहम्मद इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे एवं वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जवाब में रेस्पो. अधिवक्तागण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने हक–हिस्से एवं खातेदारी की भूमि में निर्माण किया जा रहा है। अपीलांट्स के हक–हिस्से मे किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा रहा है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पो./अप्रार्थी को सुने बिना अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं समझा है। अपीलांट्स के पास विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही का समुचित अवसर प्राप्त है। प्रस्तुत अपील अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से पोषणीय नहीं है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2061–2064 ग्राम मोकलावास तहसील जोधपुर के खाता संख्या 284 नया एवं पुराना खाता संख्या 276 के मुताबिक अपीलांट वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 261 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नं. 261/2 रकबा 09 बिस्वा 09 बिस्वांशी, खसरा नं. 261/4 रकबा 9 बीघा 01 बिस्वांशी का रेकर्डेड सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। विचारण न्यायालय में खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते प्रथमदृष्टया वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना प्रथमदृष्टया अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। ऐसी स्थिति में मामला निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज अपील संख्या 266/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/488) बअनवान इकबाल बनाम अखी मोहम्मद इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष को पांबद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 261 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नं. 261/2 रकबा 09 बिस्वा 09 बिस्वांशी, खसरा नं. 261/4 रकबा 9 बीघा 01 बिस्वांशी ग्राम मोकलावास तहसील जोधपुर के मौके एवं राजस्व रेकर्ड रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर